

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम :-

राजस्थान विधुत विनियामक आयोग द्वारा राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य की विधुत कंपनियों के लिए विभिन्न नियम एवं विनियम बनाए जाते हैं। विधुत निगमों द्वारा विधुत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विधुत विनियामक आयोग ने निष्पादन के मानक (स्टैण्डर्ड ऑफ परफोरमेंस) निर्धारित किए हैं। इस पुस्तिका का प्रकाशन जोधपुर डिस्कॉम द्वारा किया गया है तथा यह पुस्तिका सभी कार्यालय अध्यक्षों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। शीघ्र ही इसे पुस्तकाकार मुद्रण के रूप में भी प्रकाशित किया जाएगा।